

129/25

2025/205

शहरी सेवा शिविर-2025

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

UR
23/9/25

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कीरी की सोपडियां की जमावन्दी संवत् 2074-77 से 53, 82, 83, 124, 125 व 53 में शेरा नाम रामेश्वरलाल पुत्र केला कीर नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है। किये जाते हैं कि उक्त रिकॉर्ड में शेरा नाम रामेश्वरलाल के बजाय रामेश्वरलाल करवागे की कृपा कराये अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक

शेरा

(रामेश्वरलाल पि. केला कीर)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम कीरी की सोपडियां के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी संवत् 2074 से 53, 82, 83, 124, 125 में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र केला कीर दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन रामेश्वरलाल व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामेश्वरलाल उर्फ रामेश्वरलाल है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

23/9/25
GIR

अशोक कुमार मीणा
पटवारी
हमीरगढ़

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार तहसील-हमीरगढ़, जिला-मालवाड़ा

प्रार्थी द्वारा रा0भू0सज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अशोक कुमार मीणा एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम कीरी की सोपडियां की जमावन्दी संवत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 53, 82, 83, 124, 125 में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र केला कीर के बजाय रामेश्वरलाल उर्फ रामेश्वरलाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम कीरी की सोपडियां जमावन्दी संवत् 2074-77 खाता संख्या 53, 82, 83, 124, 125 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र केला कीर के स्थान पर रामेश्वरलाल उर्फ रामेश्वरलाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़